

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Essar Oil Limited for diversion (under FCA-1980) of 0.0783 ha. of forest land for non-forestry purpose. The Project envisage the use of forest land for construction of approach road to new retail outlet located at Aligarh-Ramghat Road km Ch. 9.10, RHS Khasra no. 176, Village-Harduaganj, District- Aligarh. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 23.10.2019

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest measuring 0.0783 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. - Nil.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Nil

a. The user agency has violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper'sanction.

b. It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. a detail report as per para 1.9 of chapter-1; para C of handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place- Aligarh

Dated 23.10.2019


(N.P. Upadhyay)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Aligarh.



N.B.

x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number- 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

प्रसाद झाँसर लिंग द्वारा अलीगढ़-रामगंग मार्ग किनारे ७.१० बजे - १९८५
प्राचीन इकुआंज पर विना भारत खरकाट/साकास हार से अनुभवि
प्राप्त किए गये मार्ग को वन (एंकेण) अधिकारिय १९८०
का तल्लीफन



प्रभागाय सिद्धाक
प्रामाणिक वानिकी प्रभार
Abc अलीगढ़

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०- 176 में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : FP/UP/Others/ 14131/2015 प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

(1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण:-

- (A) स्थल का विवरण— अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०- 176, तहसील-कोल, जनपद- अलीगढ़
- (B) भूमि का क्षेत्रफल— 0.0783 है०
- (C) मानचित्र— प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।
- (D) अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण— प्रकरण में 01 वृक्ष बाधक है, जोकि मौके पर स्थित है। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

2. रिपोर्ट— एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेंगे जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होंगे जो प्रथम दृष्ट्या अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम-हरदुआगंज, तहसील-कोल पर सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/ 14131/2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि संस्तुति संहित आपके स्तर से नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया। जिस पर नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ ने पत्रांक 1972/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि “प्रस्तावित वनभूमि के कें०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।” जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं० 33/18-19/अलीगढ़ दि० 23.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।

1. श्री अतुल कुमार — प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि०, (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर-16 बी, आवास विकास, सिकन्द्राबोदला, आगरा।

3. वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण—

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं० 33/18-19/अलीगढ़ दि० 23.02.2019 द्वारा एच०२ केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि 0.0783 है० पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।

4. यदि किसी भूल-चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2015 में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, साठवा० प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2015 को निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। जिसके उपरांत ही प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, साठवा० प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 18.03.2016 को समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। जिससे स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रकरण में किसी भूल-चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

(एन०पी० उपाध्यांय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

वन प्रभाग उप्रो परिषि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (हिवीजन).....
अन्य अपराध अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ३३८१३३६६४४
उपराध ३३८१३३६६४४

१- नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान

२- साक्षी का नाम श्री महाराजा राजीव

३- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

४- मूल्य

५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध

में विशेष कथन


६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख

प्रसूचना गते

जागीरी कर्मशाला

आ०क०१० करे

प्रभागीय निदेशक
प्रभागीयहिन्दी प्राते उदाहित छठ०५८ को
सूचना एवं जांचा हुए क्षेत्र।

 के. म. प. प्रभागीय
उत्तरांग राज

प्रभागीय निदेशक

प्रामाणिक व निकी प्रभाग
उत्तरांग

 के. म. प. प्रभागीय
उत्तरांग राज

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामधाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० १०५० की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०- १७६ में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७८३ है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०१ वृक्ष के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु सं० B (ii) के अनुसार निम्न प्रकार Penalty की गणना की जाती है।

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन०पी०वी०— प्रभावित वन भूमि (०.०७८३) \times ६,२६,००० = ४९,०१६.००
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण – २x ४९०१६ = ९८,०३२.००
3. १२ प्रतिशत Simple Interest= ९८,०३२ \times १२% = ११,७६४.००
4. कुल योग— १,०९,७९६.००

(शब्दों में – एक लाख सात सौ छियान्वे मात्र)

.....
 (एन०पी० उपाध्याय)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
Abn अलीगढ़।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: /14-1, दिनांक: अलीगढ़: ०३/०४ 2019

पंची वृत्त

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक,
एस्सार ऑफिल लिंग,
आगरा ऑफिस,
प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस,
सेक्टर 16वी, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा।

विषय : वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।
संदर्भ: प्रभागीय निदेशक, साठवारा प्रभाग, अलीगढ़ का पत्र सं 3288 / 14-10 दि 024.03.2019

आप की संस्था द्वारा श्री महेश जैन व विकास जैन, पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन, निवारी— एग- 8/वी, महावीर पार्क, अलीगढ़ को अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं 176, ग्राम—हरदुआगंज, तहसील—कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग व 1 वृक्ष के पातन हेतु अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/ 14131/2015 प्रेषित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, आवश्यक अभिलेखों सहित नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया। जिसके परीक्षण पर नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं 01972/11-सी—अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि “प्रस्तावित वनभूमि के केंद्रीय फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।” प्रस्तावित स्थल की जांच श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा की गयी, जांच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑफिल लिंग द्वारा विना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने—जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0783 हेक्टर संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि विना सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए ही संरक्षित वन क्षेत्र में वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग करके कार्य पूर्ण किया गया है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा—2 का उल्लंघन है।

वन कर्मियों के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि को अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं 176, ग्राम—हरदुआगंज पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं 33/18-19/अलीगढ़ दि 023.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 के तहत जारी की गई।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 का वरन् वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा—2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा—3वी में आपके विरुद्ध वाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(वी०के० मिश्र)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक ३५०२/१४-१ दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक

Attached

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(वी०के० मिश्र)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक १५३६ /२-१, दिनांक: अलीगढ़: अवृद्धबुर, ३० २०१९

सेवा में,

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद्
धनीपुर सेक्शन, अलीगढ़ रेंज।

द्वारा:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषय:- कारण बताओ नोटिस।

E.C
आठका० कर०
प्रभागीय निदेशकम् ॥ १५३६/१८/१९

आपकी अलीगढ़ रेंज में सेक्शन प्रभारी धनीपुर सेक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लिंडो द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम-हरदुआगंज, तहसील-कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

नोडल अधिकारी, उठप्र०, लखनऊ के पत्र सं० 1972/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि "प्रस्तावित वनभूमि के केंद्र०एल०फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।" जिसके कम में क्षेत्रीय कर्मियों के मौका निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 में पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये, अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम-हरदुआगंज, तहसील-कोल पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उक्त प्रकरण उच्च स्तर से प्रकाश में आने पर रेंज एच-२ केस संख्या-33/18-19/अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर लिया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

प्रभागीय निदेशक अलीगढ़
दिनांक ३७२८
फाईल नं० २-
दिनांक ०५-१०-१९

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
शनिवार

A.M.B.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
शनिवार

Letter No.- EO L/ UP-W-1657/004

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।

संदर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक 3502/14-1 दिनांक 03.05.2019

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अलीगढ़-रामधाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआंज के खसरा सं० 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में Letter of Appointment सं० UP-W-1657 dated 23.02.2015 द्वारा श्री महेश जैन व विकास जैन, पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन, निवासी- एम- 8/बी, महावीर पार्क, अलीगढ़ को निर्गत किया गया है। जिसके क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र सं० 264/जिपू०आ०/एन०ओ०सी०/15 दिनांक 23.03.2015 द्वारा सम्बन्धित विभागों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लिखा गया है। जिसके उपरांत अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना/कार्य करने हेतु निर्गत की गयी अनुमति के आधार पर ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण कराया गया।

प्रकरण में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशानुसार जो भी पेनल्टी वन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान करने को तैयार है एवं याचक विभाग बिना भारत सरकार की अनुमति के कार्य कराये जाने के फलस्वरूप जारी एच-2 केस का निस्तारण/Compound कराने हेतु जो भी पेनल्टी निर्धारित की जायेगी, उसे भी जमा करने को भी तैयार है।

प्रकरण में देरी से नोटिस का उत्तर देने हेतु याचक विभाग क्षमा हेतु प्रार्थनीय है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लिमिटेड

(पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड)
दिनांक -

EO L/ UP-W-1657/004

दिनांकित।

पत्रांक प्रतिलिपि: प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नायरा एनर्जी लिमिटेड
(पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड)
दिनांक -

Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Limited)
World Trade Tower , 1105 – 06, 11th Floor, Sector - 16,
Noida, 201301, Uttar Pradesh, India

Registered Office: Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
Registered Office: +91 2833 661444 | F +91 2833 662929
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929
CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com
CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्य:-

- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 की छायाप्रति।
- नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1472/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 की छायाप्रति।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
- भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोरावाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक: /2-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Attested

✓
(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

✓
(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक | ५२३ /२-१,

दिनांक: अलीगढ़: अक्टूबर, ३०, 2019

सेवा में,

श्री वेदप्रकाश,
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि०),
सम्बद्ध— कार्यालय कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज।

द्वारा:— प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

विषय:— कारण बताओ नोटिस।

आपकी अलीगढ़ रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लिंग द्वारा अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—१०५) किमी० चैनेज ९.१० की दाँयी पटरी खसरा सं० १७६, ग्राम—हरदुआगंज, तहसील—कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये विना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेपित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेपित किया गया।

नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 1972/11—सी—अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि “प्रस्तावित वनभूमि के कें०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।” जिसके क्रम में क्षेत्रीय कर्मियों के मौका निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 में पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा यिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये, अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—१०५) किमी० चैनेज ९.१० की दाँयी पटरी खसरा सं० १७६, ग्राम—हरदुआगंज, तहसील—कोल पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उक्त प्रकरण उच्च स्तर से प्रकाश में आने पर रेंज एच-२ केस संख्या—३३/१८—१९/अलीगढ़ दि० 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थलों का निरीक्षण कर की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये विना ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर लिया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके

Attached

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 ४०२ बलांगव

द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः—

- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 की छायाप्रति।
- नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1472/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 की छायाप्रति।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
- भारत सरकार, वन, वर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।
- फोटोग्राफ की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: /423 /2-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति प्रभारी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (निरीक्षणकर्ता) को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Attested

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

(वी0के0 मिश्र)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

65

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक ३५६४ / २-१ ,अलीगढ़: दिनांक: अप्रैल, ११, २०१९

सेवा में,

श्री परसराम, माली
हरदुआगंज बीट, अलीगढ़ रेंज।

विषय: कारण बताओ नोटिस।

द्वारा: क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज।

आप अलीगढ़ रेंज में प्रभारी हरदुआगंज बीट के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लिलो द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-१०५) किमी० चैनेज ९.१० की दांयी पटरी खसरा सं० १७६, ग्राम-हरदुआगंज, तहसील-कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग व ०१ वृक्ष के पातन हेतु अनुमति के प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० १९७२/११-सी-अलीगढ़ दिनांक २२.०१.२०१९ द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि "प्रस्तावित वनभूमि के को०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन किया गया है।" जिसका पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ०६.०३.२०१९ को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कर लिया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

इस प्रकरण में आप अपना पक्ष १५ दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि क्यों प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया ? उक्त कार्य समयवद्ध है, उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

पत्रांक: ३५६४ / २-१ समदिनांकित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज को पत्र की २ प्रति इस आशय से प्रेषित कि आप एक प्रति कर्मचारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को लौटती डाक से उपलब्ध करायें।

ATTACHED
१०६.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
नलोगः

(एम०डी०त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

(एम०डी०त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।